पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 277/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 06.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक- 06.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01-थाना-निजामाबाद, आजमगढ़ : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– अवगत कराना है कि दिनांक 28.08.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि उसकी पुत्री के साथ अभियुक्त अजीत यादव पुत्र जितेन्द्र यादव निवासी नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने शादी का झांसा देकर 02 वर्षो तक दुष्कर्म किया जब इस बात की जानकारी होने पर वादी अभियुक्त के घर गया तो जान से मारने की धमकी देने लगा। जिसके सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 418/24 धारा 69, 351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रंजय सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.09.2024 को उ0नि0 रंजय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजीत यादव पुत्र जितेन्द्र यादव निवासी नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को शेरपुर तिराहे से समय करीब 14:45 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रंजय सिंह, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 कमलेश कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

02-थाना पवई, आजमगढ़ : किशोरी को भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– अवगत कराना है कि दिनांक 05.09.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादिनी की लडकी को अभियुक्त द्रविण बिन्द पुत्र महेन्द्र बिन्द निवासी ग्राम हेवती थाना पवई जनपद आजमगढ़ दिनांक 04.09.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0- 306/24 धारा 137(2)/87 BNS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त द्रविण बिन्द पुत्र महेन्द्र बिन्द निवासी ग्राम हेवती थाना पवई जनपद आजमगढ़ को बागबहार पुलिया के पास से समय करीब 09:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा, का0 मो0 सज्जाद, का0 राकेश कुमार गौड़, म0का0 विजेता पाण्डेय थाना पवई जनपद आजमगढ़।

03-थाना देवगाँव, आजमगढ़ : अवैध असलहा-कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अवैध असलहा कारतूस की तस्करी, निर्माण एवं अवैध असलहा कारतूस रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को उ0नि0 लालबहादुर प्रसाद मय हमराह द्वारा अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र दसई राम निवासी शेखपुर बछौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष को मोलनापुर पुल से अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अगुठी (पीली धातू) के साथ समय करीब 04:45 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 327/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 लालबादुर प्रसाद, का0 सुधीर सोनी, हे0का0 श्याम कुमार गौतम, हे0का0 राकेश कुमार, का0 ऋषभ शुक्ला थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।